न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 89/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांकः 26.04.2022
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

गणेश आत्मज बाला जाति माली निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी राज0 मृतक के कायम मुकामान :–

1. रमेश सोनी आ0 स्व0 गणेश लाल सेनी जाति माली, निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी
2. बुद्धि प्रकाश आ0 स्व0 गणेश लाल सेनी जाति माली, निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी
3. कल्याणी विधवा गणेश लाल सेनी जाति माली, निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी
4. मन्जू पुत्री स्व0 गणेश लाल सेनी जाति माली पत्नि प्रभूलाल जाति माली निवासी कोटड़ी गोवर्धनुपुरा माता जी के मंदिर के पास कोटा
5. गोरा बाई पुत्री स्व0 गणेश लाल पत्नि गजानन्द जाति माली निवासी मनिहारा मन्दिर के पास बारां, जिला, बारां

...अपीलांट्स

बनाम

1. कन्हैया लाल आ0 बाला, जाति माली निवासी ग्राम छत्रपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी
2. तहसीलदार, तहसील बून्दी जिला बून्दी

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री विनय कुमार सक्सैना अभिभाषक –अपीलांट्स
श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक –रेस्पो0 क्र. 1
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 2

::निर्णय::

दिनांक 10.07.2024

अपीलांट्स द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 84/अपील/2019 गणेश बनाम कन्हैयालाल में पारित निर्णय दिनांक 20.04.2021 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, बून्दी द्वारा आदेश दिनांक 23.01.2017 सहखातेदारान के मध्य सहमति बटवारे के आधार पर जारी किया गया, जिसकी प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी के यहां अपीलांट द्वारा पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी द्वारा पारित निर्णय अनुसार कन्हैयालाल एवं गणेशलाल द्वारा दिनांक 23.01.2017 को तहसीलदार, बून्दी को कृषि भूमि का सह खातेदारों के बीच आपसी रजामन्दी से बंटवारा करने बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किये जाने पर सहमति पत्र/राजीनामें को निरस्त करने की कार्यवाही धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपील पेश नहीं की जा सकने के परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहखातेदारान द्वारा

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आधार पर पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.01.2017 में कोई विधिक दोष नहीं पाये जाने से अपील खारिज की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के उक्त निर्णय से व्यथीत होकर अपील अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि तहसीलदार, बून्दी द्वारा ग्राम छत्रपुरा में विस्थित कृषि भूमि में 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम एवं 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि अपीलांट गणेश के नाम अंकित करने का आदेश सहमति बंटवारे के आधार पर दिया था किंतु उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट गणेश ने प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी को प्रस्तुत की गई, जिसे दिनांक 20.04.2021 से निरस्त कर दी गयी। दिनांक 18.05.2021 को अपीलांट गणेश निधन होने के उपरांत गणेश के उत्तराधिकारी द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश कर वर्णित किया कि वादग्रस्त भूमि में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है तथा उसी अनुरूप नामान्तरकरण को तस्दीक किया जाकर उसी अनुरूप बंटवारा किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी का निर्णय दिनांक 20.04.2021 एवं तहसीलदार बून्दी का निर्णय दिनांक 23.01.2017 को अपास्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अपीलांट का 1/2 तथा रेस्पोडेन्ट का 1/2 भूमि पर नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है तथा उसी अनुरूप नामान्तरकरण को तस्दीक किया जाकर उसी अनुरूप बंटवारा किया जाना चाहिए था। अतः न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी का निर्णय दिनांक 20.04.2021 एवं तहसीलदार बून्दी का निर्णय दिनांक 23.01.2017 को अपास्त किया जावे।

4 अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2021 न्यायोचित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति पत्र/राजीनामें को निरस्त करने की कार्यवाही धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पोषनीय नहीं होने से अपील खारिज की गई हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एंव रेस्पो0 पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार, बून्दी द्वारा आदेश दिनांक 23.01.2017 सहखातेदारान के मध्य सहमति बटवारे के आधार पर जारी किया गया। जिसकी प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी के यहां अपीलांट द्वारा पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी द्वारा आपसी रजामन्दी से बंटवारा करने बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आधार पर पारित किये गये न्यायालय तहसीलदार, बून्दी के निर्णय दिनांक 23.01.2017 में कोई विधिक दोष नहीं पाते हुए सहमति पत्र/राजीनामें को निरस्त करने की कार्यवाही धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपील नहीं किये जाने से अपील खारिज की गई हैं। प्रस्तुत अपील में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि तहसीलदार, बून्दी द्वारा ग्राम छत्रपुरा में विस्थित कृषि भूमि में 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम एवं 4 बीघा 18

आयुक्त

बिस्वा भूमि अपीलांट गणेश के नाम अंकित करने का आदेश सहमति बंटवारे के आधार पर दिया था किंतु उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट गणेश ने प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी को प्रस्तुत की गई, जिसे दिनांक 20.04.2021 से निरस्त कर दी गयी। दिनांक 18.05.2021 को अपीलांट गणेश निधन होने के उपरांत गणेश के उत्तराधिकारी द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश कर वर्णित किया कि वादग्रस्त भूमि में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है तथा उसी अनुरूप नामान्तरकरण को तस्दीक किया जाकर उसी अनुरूप बंटवारा किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी द्वारा कन्हैयालाल एवं गणेशलाल को तहसीलदार, बून्दी के आदेश दिनांक 23.01.2017 द्वारा कृषि भूमि का सह खातेदारों के बीच आपसी रजामन्दी से बंटवारा करने बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आधार पर पारित किये गये न्यायालय तहसीलदार, बून्दी के निर्णय दिनांक 23.01.2017 में कोई विधिक दोष नहीं पाते हुए सहमति पत्र/राजीनामें को निरस्त करने की कार्यवाही धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपील पोषनीय (मेंटेनेबल) नहीं होने से अपील निर्णय दिनांक 20.04.2021 से खारिज की गई हैं, जो न्यायोचित होना प्रतीत होता हैं। जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत पोषनीय (मेंटेनेबल) नहीं होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं। पक्षकारान सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

6 निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा